हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नया रायपुर (छ.ग.)

विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदा की शर्ते एवं प्रपत्र

नया रायपुर, दिनांक 26.05.2017

निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथिः 27.06.2017 सायं 5.00 बजे तक

पूरित किये गये प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथिः 28.06.2017 सायं 5.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथिः 29.06.2017 प्रातः 11.00 बजे
स्थान – विश्वविद्यालय सभाकक्ष, नया रायपुर

टेंडर फार्म मूल्य – रु.5000/–

(कुल पन्ने की संख्या – 17 पृष्ठ)

नोटः– निविदाकर्ता निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पन्ने पर अपने हस्ताक्षर करें।

हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नया रायपुर

पूर्व योग्यता जाँच सूची

क्रं.	विवरण	हाँ	नहीं	पृ.क्र.
1.	संस्था का पैन नंबर			
2.	जीवित लेबर लायसेंस प्रमाण–पत्र एवं वैधता तिथि			
3.	सालवेन्सी प्रमाण–पत्र (न्यूनतम रु. 10 लाख)			
4.	सर्विस टेक्स रजिस्ट्रेशन एवं वैधता तिथि			
5.	भविष्य निधि प्रमाण–पत्र कोड सहित			
6.	उचित श्रेणी में पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं वैधता तिथि			
7.	अनुभव प्रमाण–पत्र / परफार्मेंस सर्टिफिकेट			
8.	वर्तमान में कार्यरत संस्थान का नाम (कार्यादेश की प्रति संलग्न करें)			
9.	एजेन्सी का वार्षिक टर्न ओव्हर पिछले तीन वर्षो में न्यूनतम 50 लाख रुपये रहने का सी.ए. से प्रमाणित अंकेक्षित वित्तीय पत्रक			
10.	आयकर निर्धारण पत्रक (विगत तीन वर्षों का)			
11.	वर्कमेन कम्पनसेशन पॉलिसी (जीवित) की छायाप्रति			
12.	अमानत हेतु निर्धारित राशि का डिमांड ड्राफ्ट, जो कुलसचिव/रजिस्ट्रार, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, रायपुर के नाम से देय हो, संलग्न किया जाये।			
13.	तकनीकी निविदा			
14.	वित्तीय निविदा			

हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नया रायपुर (छ.ग.)
निविदा–प्रपत्र

निविदा की शर्ते

1. इच्छुक एवं पात्र निविदाकारों से **द्वि–निविदा पद्धति (पृथक–पृथक तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा पद्धति)** से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा पृथक–पृथक लिफाफों में मुहरबंद कर एक बड़े लिफाफे में मुहरबंद कर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। लिफाफों के उपर स्पष्ट रूप से **तकनीकी निविदा** एवं **वित्तीय निविदा** एवं **निविदाकार का नाम** अंकित किया जाना अनिवार्य है। बाहरी लिफाफे पर **''हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में वित्तीय वर्ष 2017–18 में सुरक्षा कार्य''** अंकित किया जाना अनिवार्य है। इस पद्धति का अनुपालन नहीं करने पर निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी।

2. निर्धारित पद्धति का अनुपालन कर जमा की गई निविदाओं को नियत तिथि, समय एवं स्थान पर खोला जाएगा। सर्वप्रथम बड़ा लिफाफा खोलकर विश्वविद्यालय द्वारा तकनीकी निविदाओं का परीक्षण किया जाएगा। केवल उन्हीं निविदाकारों की वित्तीय निविदाएं खोली जाएंगी जिनकी तकनीकी निविदाएं निविदा शर्तों के अनुकूल योग्य पाई गई हों।

3. निविदा की दर न्यूनतम होने पर ही ठेका मंजूर किया जाना आवश्यक नहीं होगा। निविदा स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय को होगा। निविदा स्वीकार/अस्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं होगा।

4. निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाली निविदाओं पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। डाक में होने वाले विलंब के लिए विश्वविद्यालय जवाबदेह नहीं होगा।

5. केवल उसी एजेंसी अथवा निविदाकार की निविदा मान्य की जाएगी, जो निम्नानुसार पात्रता रखते होः–

   अ. जिसने शासकीय, अर्द्धशासकीय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, संस्थाओं, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में न्यूनतम 03 वर्ष का सुरक्षा संबंधी कार्य किया हो तथा किसी दो कार्यादेशों की जिसकी न्यूनतम क्षमता 70 सुरक्षा–कर्मी की रही हो। समर्थन में दस्तावेज संलग्न करें।

   ब. जिस एजेंसी के पास ऐसे कम से कम तीन ठेके वर्तमान में संचालित हों, जिसका कुल पारिश्रमिक रू. 25 लाख प्रतिवर्ष से कम न हो। (इसके समर्थन में एजेंसी को वर्क आर्डर/अन्य दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है)।

   स. एजेंसी के वार्षिक टर्न ओवर (पिछले 03 वर्षों में न्यूनतम 50 लाख रूपये प्रतिवर्ष का रहा हो, का (सी.ए. से प्रमाणित/अंकेक्षित) वित्तीय पत्रक संलग्न करना अनिवार्य है।

द. इस निविदा के माध्यम से प्रदाय किये जाने वाले सुरक्षा कर्मियों में से आवश्यकतानुसार सुरक्षाकर्मियों में भूतपूर्व आर्मी–मेन का होना आवश्यक है।

इ. **ऐसे निविदाकार जिन्होंने विश्वविद्यालय में पूर्व में सुरक्षा सेवाएं प्रदान की हैं किन्तु उनकी सेवाओं को असंतोषजनक नहीं पाया गया हो। ऐसे निविदाकार जिनकी सेवाएं असंतोषजनक पाई गई हों और जो निविदा शर्तों के उल्लंघन के दोषी पाए गए हों उनकी निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी।**

6. निविदाकार द्वारा निविदा करते समय निविदा प्रपत्र के साथ अमानत राशि रु. 3,00,000/– (रुपये तीन लाख मात्र) जमा की जाएगी। अमानत राशि संलग्न नहीं किये जाने की स्थिति पर निविदा निरस्त मानी जावेगी।

7. निविदाएँ निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर खोली जाएंगी। निविदा खोलने के समय निविदाकर्ता स्वयं अथवा उसका एक अधिकृत प्रतिनिधि, लिखित प्राधिकार होने पर उपस्थित हो सकता है।

8. विश्वविद्यालय को किसी भी निविदा को अस्वीकृत करने अथवा समस्त निविदाओं को अपने विवेक से बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। ऐसी निविदा जो सशर्त प्रस्तुत की गई है स्वमेव निरस्त मानी जाएगी।

9. ऐसे निविदाकर्ता जो कि निविदा में विश्वविद्यालय की निर्धारित शर्तो को पूर्ण रूप से स्वीकार करेंगे, उनसे निगोसियेशन कर दरें एवं अन्य शर्तें निर्धारित करने का विश्वविद्यालय का अधिकार सुरक्षित रहेगा। निगोसियेशन की तारीख विश्वविद्यालय की सुविधानुसार तय कर टेलीफोन द्वारा या लिखित सूचना द्वारा दी जाएगी।

10. यदि एक बार सफल निविदाकार को विश्वविद्यालय द्वारा सुरक्षा ठेके का प्रस्ताव दिया जाता है एवं संबंधित निविदाकार अपनी निविदा निष्पादित कराने में असफल होता है अथवा निविदा वापस लेना चाहता है, तो ऐसी दशा में उसके द्वारा जमा की गई अमानत की राशि विश्वविद्यालय द्वारा जब्त कर ली जावेगी।

11. सफल निविदाकार को रु.5,00,000/– (रुपये पांच लाख मात्र) की प्रतिभूति राशि कुलसचिव/रजिस्ट्रार, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) के नाम देय डिमांड ड्रॉफ्ट के रूप में जमा कराना होगा। सफल निविदाकार की अमानत राशि रु.3,00,000/– (रुपये तीन लाख मात्र) प्रतिभूति राशि में समायोजित की जा सकेगी।

12. ऐसे निविदाकर्ता जिनकी निविदाएँ विश्वविद्यालय द्वारा अस्वीकृत की जाती हैं, उनकी अमानत राशि निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात एवं एक माह के अंदर लौटाई जा सकेगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

13. निविदाकर्ता का नियोक्ता के रूप में भविष्य निधि का स्वयं का कोड होना आवश्यक है।

14. निविदाकर्ता द्वारा निविदा में दर्शित दरें राज्य एवं केन्द्र सरकार की वैधानिक औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए होना चाहिए।

15. निविदाकर्ता को निविदा के साथ संलग्न पेन नंबर एवं विगत तीन वर्षों का आयकर निर्धारण प्रमाण–पत्र की फोटोकापी संलग्न करना अनिवार्य होगा।

16. निविदाकार निविदा भरने के पूर्व स्वयं के व्यय से उपरवारा स्थित हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय परिसर का अवलोकन कर लें, जिससे भविष्य में किये जाने वाले कार्य की प्रकृति व मात्रा एवं वृहदता की जानकारी हो सके।

17. विश्वविद्यालय का यह अधिकार सुरक्षित है कि समस्त कार्य हेतु सुरक्षा व्यवस्था का ठेका एक ही अथवा विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों को पृथक–पृथक आवंटित करे।

18. पिछले वित्तीय वर्ष के दरम्यान ई.पी.एफ. एवं सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन में जमा किये गये चालानों की प्रतियाँ फार्म 3ए, 6ए सहित निविदाकर्ता को संलग्न करना अनिवार्य होगा।

19. लेबर लायसेंस प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

20. फर्म का वर्तमान में जीवित पंजीयन प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

21. आकस्मिक दुर्घटना/धन–जन हानि/अन्य आपदा इत्यादि की स्थिति में विश्वविद्यालय प्रबंधन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। निविदाकर्ताओं/ठेकेदारों को समस्त जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा।

22. सफल निविदाकार को कार्य आवंटन एवं सुरक्षा की रूपरेखा दर्शित करने वाली सारणियाँ तत्काल प्रभाव से प्रस्तुत करनी होगी। समस्त सुरक्षा कर्मियों एवं गनमेन्स, सुरक्षा अधिकारियों के नाम, पते, टेलीफोन नंबर उपलब्ध कराते हुए, चरित्र इत्यादि का सत्यापन निविदाकार को करना होगा।

23. कर्मचारी स्वास्थ्य परीक्षण कराने एवं उपयुक्त पाये जाने के उपरांत ही कार्य पर लगाए जाएंगे। यह निविदाकार की जवाबदेही होगी।

24. सिक्यूरिटी ठेकेदार अपने कुल कर्मचारियों का 70 प्रतिशत बाहरी क्षेत्रों से तथा 30 प्रतिशत स्थानीय क्षेत्रों से लगाएगा किन्तु लगाए जाने वाले समस्त कर्मचारियों को पात्रता एवं इस निविदा की शर्तों को पूरा करना आवश्यक होगा। सिक्यूरिटी ठेकेदार द्वारा लगा गए कुल कर्मचारियों में से आवश्यकतानुसार कुछ सुरक्षा कर्मचारियों का भूतपूर्व आर्मी–मेन होना आवश्यक है।

25. **सिक्यूरिटी ठेकेदार किसी भी सुरक्षा कर्मचारी/सुरक्षा गार्ड/सुरक्षा अधिकारी/सुरक्षा सुपरवाईजर या अन्य सुरक्षा कर्मचारियों/अधिकारियों से एक दिन में अधिकतम आठ घंटे की एक ही ड्यूटी करवाएगा। यदि आठ घंटे से अधिक ड्यूटी किसी भी अधिकारी/कर्मचारी से सुरक्षा ठेकेदार करवाता है तो अतिरिक्त ड्यूटी का भुगतान**

विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया जाएगा जिसके लिए केवल सुरक्षा ठेकेदार जिम्मेदार होगा।

26. तीनों शिफ्ट की ड्यूटी चार्ट सुरक्षा ठेकेदार विश्वविद्यालय द्वारा नामित विश्वविद्यालय के सुरक्षा इंचार्ज को प्रतिदिन सौंपेगा। प्रत्येक सुरक्षा अधिकारी/कर्मचारी को ड्यूटी चार्ट के अनुसार अपनी उपस्थिति विश्वविद्यालय के सुरक्षा इंचार्ज को प्रत्येक शिफ्ट प्रारंभ होते समय एवं शिफ्ट समाप्त होते समय दर्ज कराना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने की स्थिति में संबंधित सुरक्षा अधिकारी/ कर्मचारी को अनुपस्थित माना जाएगा।

27. विश्वविद्यालय प्रबंधन, सुरक्षा ठेकेदार को देयकों का भुगतान मासिक आधार पर करेगा। द्वितीय माह से देयक के साथ पिछले माह के ई.पी.एफ. इलेक्ट्रानिक चालान कम रसीद की प्रमाणित प्रतियां जमा करना अनिवार्य होगा जिसमें समेकित विवरण के साथ ही प्रत्येक कर्मचारी के खाते में जमा किये गये अंशदान कटौती का विवरण (इलेक्ट्रानिक चालान) संलग्न करना अनिवार्य होगा। अन्यथा देयक भुगतान हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

28. प्रत्येक सुरक्षा कर्मचारी/सुरक्षा गार्ड/सुरक्षा ठेकेदार को अच्छी क्वालिटी की लाठियों तथा शस्त्रों से लैस होना आवश्यक है ताकि वे किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने में पूर्ण रूप से सक्षम हों।

27. सुरक्षा ठेका सामान्यतः एक वर्ष की अवधि हेतु दिया जावेगा। विश्वविद्यालय प्रबंधन को यह अधिकार होगा कि ठेके की अवधि को आवश्यकतानुसार वार्षिक कार्य निष्पादन के मूल्यांकन के आधार पर बढ़ा सके। यह अवधि हर बार एक वर्ष के लिए किन्तु अधिकतम तीन वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी। इस ठेके के दौरान निविदाकार द्वारा अपनी निविदा में अंकित दर के आधार पर उनके देयकों का यथोचित कटौतियों के पश्चात् भुगतान किया जाएगा। ठेके के दौरान यदि स्थानीय/जिला प्रशासन द्वारा समय–समय पर जो दैनिक/मासिक वेतन की दरें लागू/अधिसूचित की जाती हैं एवं निविदाकार द्वारा इस आशय से पुनरीक्षित दरों के आधार पर देयकों के भुगतान हेतु आवेदन करता है तो निविदाकार के देयकों का तदनुसार यथोचित कटौतियों के पश्चात् भुगतान किया जाएगा।

28. सुरक्षाकर्मियों की प्रतिदिन प्रत्येक शिफ्ट में शत–प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है। ड्यूटी के दौरान यदि कोई सुरक्षाकर्मी खाना खाने या शौचालय इत्यादि के नाम पर अपने कार्यस्थल/ड्यूटी पाईंट पर अनुपलब्ध पाया जाता है तो उस सुरक्षाकर्मी को अनुपस्थित माना जाएगा तथा इस चूक के लिए पूर्ण उत्तरदायित्व सुरक्षा एजेंसी का होगा।

29. किसी शिफ्ट में कोई अनुपस्थित होता है तो सुरक्षा एजेंसी को तत्काल वैकल्पिक सुरक्षाकर्मी की व्यवस्था करना आवश्यक है । सुरक्षा एजेंसी द्वारा ऐसा न करने की स्थिति में अथवा संतोषजनक कार्य निष्पादन नहीं पाए जाने की स्थिति में विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा स्वविवेक से सुरक्षा एजेंसी पर पेनाल्टी अधिरोपित करने का अधिकार होगा। आवश्यकता होने पर आपातकाल में अतिरिक्त कर्मचारियों की पूर्ति तत्काल निविदाकार के द्वारा करना अनिवार्य होगा।

30. ठेके की कालावधि के दौरान ठेकेदार अथवा उसके कर्मचारियों की लापरवाही/चूक/त्रुटि या अन्यथा कारण से विश्वविद्यालय को हुई हानि या अधिरोपित जुर्माने की राशि को प्रतिभूति राशि में से समायोजित किया जा सकेगा। ठेका समाप्त होने पर संबंधित शाखा से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर प्रतिभूति राशि लौटाई जाएगी। प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

31. आयकर अधिनियम तथा आयकर विभाग के निर्देशानुसार प्रत्येक भुगतान पर आयकर की कटौती (टीडीएस) की जाएगी । इसके अतिरिक्त अन्य शासकीय विभागों के अधिनियमों/नियमों के अंतर्गत निर्धारित कटौतियां भी देयकों से की जाएंगी।

32. केन्द्र/राज्य शासन द्वारा 01 जुलाई 2017 से गुड्स एवं सर्विस टैक्स (जी.एस.टी.) संपूर्ण भारत वर्ष में लागू किया जाना प्रस्तावित है एवं यदि शासन की अधिसूचना अनुसार यदि इस सेवा पर भी जी.एस.टी. लागू होता है तो निविदाकार/ठेकेदार जी. एस.टी. में तत्काल अपना पंजीयन करवाएगा एवं जी.एस.टी. पंजीयन से संबंधित समस्त दस्तावेज एवं समय–समय पर जी.एस.टी. अदा करने संबंधी आवश्यक दस्तावेजों/रिटर्न्स/चालानों की प्रतियां विश्वविद्यालय को अभिलेखों हेतु जमा करने के लिए बाध्य होगा।

33. निविदा प्रपत्र भरकर तथा अमानत राशि का ड्राफ्ट और आवश्यक दस्तावेज (स्वयं के द्वारा सत्यापित) संलग्न कर सभी को एक लिफाफे में रखकर सीलबंद कर रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीडपोस्ट से प्रेषित किया जाए ताकि निविदा प्राप्त होने की अंतिम तारीख एवं समय तक आवश्यक रूप से कुलसचिव, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, रायपुर को प्राप्त हो जाए। भरे हुए निविदा प्रपत्र निर्धारित समय सीमा के भीतर व्यक्तिगत रूप से सीधे विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा कर रसीद प्राप्त की जा सकती है। **लिफाफे के ऊपर सुरक्षा कार्य हेतु निविदा अंकित किया जाए।**

34. **उपरोक्त शर्तों के अलावा सुरक्षा ठेके की विशेष शर्तें जिनका अनुपालन सुरक्षा ठेकेदार को कार्य के दौरान करना अनिवार्य है, वे इस निविदा प्रपत्र में पृथक से दी गई हैं।**

हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नया रायपुर (छ.ग.)
की सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदा

सुरक्षा ठेके की विशेष शर्तें:

01. प्रतिष्ठित संस्थान/सहकारी संस्थान/भूतपूर्व सैनिकों द्वारा संचालित संस्थान एवं अनुभवी सुरक्षा एजेंसियों को शर्त पूर्ण होने पर प्राथमिकता दी जावेगी।
02. ठेके की प्रारंभिक कालावधि 01 वर्ष होगी जिसे वार्षिक कार्य निष्पादन के आधार पर विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्रत्येक वर्ष बढ़ाया जा सकेगा। कालावधि में ऐसी वृद्धि अधिकतम तीन वर्ष तक के लिए की जा सकती है।
03. सुरक्षा एजेंसी द्वारा सुरक्षा व्यवस्था लगातार 'राउंड दी क्लॉक' की जावेगी एवं संभावित घटनाओं यथा–चोरी, जीवन एवं संपत्ति की क्षति से सुरक्षा की जाएगी। किसी प्रकार की घटना घटित होने पर उसकी सूचना संबंधित सुरक्षाकर्मियों द्वारा अविलंब विश्वविद्यालय के अधिकारियों को दी जाएगी। विश्वविद्यालय के द्वारा नियुक्त अधिकारी/कमेटी द्वारा प्रकरण की जांच की जाएगी। जांच उपरांत सुरक्षा एजेंसी को उत्तरदायी पाए जाने पर विश्वविद्यालय को जो क्षति हुई है उसकी वसूली एजेंसी के देयक से की जाएगी।
04. सुरक्षा एजेंसी द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में आने –जाने वाली समस्त प्रकार की सामग्री एवं बाहर जाने एवं अंदर आने वाले सभी वाहनों के रिकार्ड रखने की व्यवस्था की जाएगी। एजेंसी द्वारा रखा गया रिकार्ड विश्वविद्यालय की संपत्ति होगी।
05. सुरक्षा एजेंसी द्वारा विश्वविद्यालय परिसर से कोई भी वस्तु/सामान/सामग्री विश्वविद्यालय के द्वारा इस हेतु अधिकृत अधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना बाहर नही जाने दी जाएगी। यदि इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि/चूक होती है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व सुरक्षा एजेंसी का होगा।
06. सुरक्षा एजेंसी स्वयं के व्यय से सुरक्षा कर्मचारियों को वर्दी, जूते, रेनकोट/प्रोटेक्टिव गारमेंट, टार्च सेल, लाठी, लाइसेंसी अस्त्र–शस्त्र इत्यादि उपलब्ध कराएगी एवं परिचय–पत्र भी उपलब्ध कराएगी, ताकि उनकी पहचान सुनिश्चित हो।
07. सुरक्षा एजेंसी द्वारा प्रत्येक शिफ्ट में सुरक्षा कर्मचारियों की उपस्थिति दर्शाने वाली पंजी रखी जाएगी जो कि विश्वविद्यालय या उसके प्रतिनिधि को आवश्यकतानुसार प्रस्तुत की जाएगी।
08. सुरक्षा एजेंसी द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में स्थित अग्नि बुझाने वाले उपकरणों का समुचित रख–रखाव भी सुनिश्चित किया जाएगा एवं उनका समय–समय पर निरीक्षण/परीक्षण करना होगा ताकि आगजनी घटित होने पर त्वरित गति से काबू पाया जा सके।
09. सुरक्षा एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि विश्वविद्यालय परिसर के अंदर रखी गई /स्थित सामग्री को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे। यदि ऐसी कोई सामग्री असुरक्षित रूप से बाहर रखी हुई दिखाई देती है तो सुरक्षा एजेंसी द्वारा इसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय प्रबंधन को अविलंब दी जावेगी।
10. सुरक्षा एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी अनाधिकृत एवं निषिद्ध व्यक्ति परिसर में प्रवेश न कर सके।
11. सुरक्षा एजेंसी का यह दायित्व होगा कि वह विश्वविद्यालय कार्यालय परिसर में शांति बनाये रखना सुनिश्चित करे।

12. सुरक्षा एजेंसी द्वारा नियोजित कर्मियों को विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के समक्ष भुगतान कर, प्रबंधन के प्रतिनिधि के द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि के साथ देयक पांच तारीख तक कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। देयक के साथ एजेंसी द्वारा भुगतान किये गये वेतन–पत्रक की छायाप्रति, सत्यापित उपस्थिति पत्र तथा गत माह सुरक्षा कर्मियों के भुगतान से काटी गई भविष्य निधि राशि को शासकीय कोष में जमा करने वाले चालान की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा एजेंसी का देयक अपूर्ण माना जावेगा एवं उसके आधार पर कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि एजेंसी द्वारा नियोजित कर्मचारियों को नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम वेतन भुगतान करने की अथवा किसी कर्मचारी को वेतन न मिलने की शिकायत प्राप्त होती है, तो विश्वविद्यालय द्वारा उक्त कर्मी को ठेकेदार की ओर से सीधे भुगतान कर दिया जाएगा एवं एजेंसी से उक्त राशि वसूल की जाएगी। इसी प्रकार श्रम कानूनों के अंतर्गत एजेंसी द्वारा निर्धारित औपचारिकताएँ पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।
13. दोनों पक्षों में से कोई भी पक्ष सामान्य दशा में तीन माह की पूर्व सूचना देकर सुरक्षा ठेका समाप्त कर सकता है, परंतु सुरक्षा एजेंसी या उस के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन/चूक करने की दशा में विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि जांच के पश्चात सुरक्षा ठेका निरस्त कर प्रतिभूति राशि जप्त कर ले। इस संबंध में विश्वविद्यालय प्रबंधन का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
14. सुरक्षा एजेंसी को कार्य हेतु विश्वश्विद्यालय प्रबंधन उचित स्थान उपलब्ध कराएगा। बैठने एवं रिकार्ड सुरक्षित रखने हेतु फर्नीचर प्रदाय किया जाएगा।
15. ठेके के दौरान सुरक्षा एजेंसी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों/अप्रशिक्षित व्यक्तियों को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सुरक्षा एजेंसी में कार्य पर नहीं ले सकेगी।
16. सुरक्षा एजेंसी को सुरक्षा कर्मचारियों को कार्य पर रखने के पूर्व विश्वविद्यालय प्रबंधन से अनुमति लेना आवश्यक होगा। किसी भी सुरक्षा कर्मी के आचरण/व्यवहार में शंका पाये जाने पर अथवा अनुबंध की किसी भी शर्त के उल्लंघन या चूक का दोषी पाए जाने पर प्रबंधन द्वारा उसका प्रवेश परिसर में प्रतिबंधित किया जा सकेगा या निर्देशानुसार एजेंसी द्वारा तत्काल उक्त कर्मी को हटा दिया जाएगा और प्रबंधन की अनुमति के बगैर ऐसे व्यक्ति को पुनः कार्य पर नहीं रखा जाएगा।
17. सुरक्षा एजेंसी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने कर्मचारियों को वेतन एवं एलाउंस का भुगतान नियमित रूप से नियमानुसार करे। ये भुगतान श्रमायुक्त/कलेक्टर द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम नहीं होंगे।
18. सुरक्षा एजेंसी का उत्तरदायित्व होगा कि वह लागू होने वाले समस्त श्रम कानूनो जैसे– फैक्ट्री एक्ट, श्रम संविदा अधिनियम, ईपीएफ अधिनियम एवं अन्य संबंधित अधिनियमों का सुरक्षा कर्मचारियों के लिए पालन करे यदि संबंधित अधिनियम के उल्लंघन बाबत् विश्वविद्यालय प्रबंधन को कोई नोटिस प्राप्त होती है एवं कोई दण्ड निर्धारित किया जाता है तो विश्वविद्यालय प्रबंधन को यह अधिकार होगा कि वह सुरक्षा एजेंसी को किये जाने वाले भुगतान से इस प्रकार की क्षति को समायोजित कर सके।
19. प्रतिभूति राशि एजेंसी को ठेका समाप्त होने पर संबंधित शाखा से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर, ठेके की कालावधि के दौरान एजेंसी के कार्यो/लापरवाही से विश्वविद्यालय को हुई क्षति की वसूली किये जाने के उपरांत, शेष राशि एजेंसी को लौटाई जाएगी। प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
20. सुरक्षा एजेंसी कर्मचारियों के लिए निम्न अर्हताएं निर्धारित की जाती हैं – सुरक्षा अधिकारी एन.सी.सी. सुबेदार या उससे वरिष्ठ अथवा रिटायर्ड पुलिस एस.आई. अथवा समकक्ष अथवा औद्योगिक संस्थान में सुरक्षा पर्यवेक्षक का कम–से–कम दस वर्ष का

अनुभव रखने वाला हो सकेगा। शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम एच.एस.एस.सी. पास। सुरक्षा पर्यवेक्षक औद्योगिक सुरक्षा का पर्यवेक्षक या समकक्ष कार्य का कम–से–कम तीन वर्ष का अनुभव, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएँ एच.एस.एस.सी. पास।

21. सुरक्षा एजेंसी द्वारा प्रत्येक सुरक्षा कर्मी/अधिकारी का स्वास्थ्य परीक्षण एवं पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र सूचिबद्ध रूप से कार्य प्रारंभ करते समय तथा समय–समय पर विश्वविद्यालय प्रबंधन को सौंपेगा एवं उसकी पावती लेगा।
22. सुरक्षा एजेंसी का यह दायित्व होगा कि वह उन्हीं कर्मचारियों को सुरक्षा कार्य पर लगाए जिनको कम से कम 90 दिनों का सुरक्षा प्रशिक्षण दिया गया हो। सुरक्षा एजेंसी का यह दायित्व होगा कि वह प्रत्येक सुरक्षा कर्मी के नाम सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नवीन सुरक्षा प्रशिक्षण प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय प्रबंधन को कार्य प्रारंभ करने से पूर्व जमा करे। समय–समय पर नए सुरक्षा कर्मचारी लगाने की स्थिति में भी सुरक्षा एजेंसी निविदा में उल्लेखित समस्त आवश्यक प्रक्रिया का पालन करने को बाध्य होगी।
23. सुरक्षा एजेंसी का कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार की ट्रेड यूनियन की गतिविधियों में भाग नहीं लेगा।
24. विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा समय–समय पर दिये जाने वाले निर्देशो का कड़ाई से पालन करने एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए सुरक्षा एजेंसी उत्तरदायी होगी।
25. सुरक्षा एजेंसी विश्वविद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता एवं निर्देशानुसार रिकार्ड रखने तथा रिपोर्ट तैयार कर प्रबंधन के समक्ष पेश करने के लिए उत्तरदायी होगी।
26. सुरक्षा एजेंसी को श्रम संविदा अधिनियम 1970 के अंतर्गत श्रम विभाग से लायसेंस प्राप्त कर विश्वविद्यालय प्रबंधन को प्रस्तुत करना होगा।
27. सुरक्षा एजेंसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह अपने कर्मचारियों को विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा आवश्यकता होने पर अधिकृत व्यक्ति के समक्ष वेतन का भुगतान करे।
28. विश्वविद्यालय प्रबंधन किसी भी प्रकार की लिपिकीय सुविधा सुरक्षा एजेंसी को उपलब्ध नहीं करावेगा। सुरक्षा एजेंसी स्वयं लिपिकीय व्यवस्था करेगी किंतु विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा समुचित स्टेशनरी उपलब्ध कराई जाएगी।
29. विश्वविद्यालय प्रबंधन को अनुबंध की शर्तो को संशोधित करने, निरस्त करने एवं नई शर्तो को जोड़ने का अधिकार होगा। इसके लिए बिना कारण बताए एक माह की पूर्व सूचना सुरक्षा एजेंसी को दी जावेगी।
30. सुरक्षा एजेंसी को अपने कर्मचारियों के लिए फैक्ट्री एक्ट के अनुसार हाजिरी कार्ड, अवकाश कार्ड, आदि देने होंगे एवं उसे पूर्ण करना तथा उनका व्यवस्थित रिकार्ड एजेंसी को स्वयं ही रखना होगा जिसकी एक प्रति भुगतान देयक के साथ कार्यालय में जमा करवानी होगी। निरीक्षक द्वारा निरीक्षण के दौरान संबंधित रिकार्ड चेक कराने होंगे।
31. विश्वविद्यालय के परिसर में धुम्रपान/मदिरापान/किसी भी प्रकार का नशा करना या ड्यूटी के दौरान नशे में होना या किसी प्रकार की नशीली सामग्री परिसर के भीतर लाना या प्राप्त करना या प्रदान करना पूर्णतः वर्जित है। यदि सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है तो प्रबंधन को स्वविवेक से सुरक्षा एजेंसी पर जुर्माना अधिरोपित करने का अधिकार होगा।
32. सुरक्षा एजेंसी अपने कर्मचारियों के ईपीएफ/ईएसआई कटौती अंशदान नियमानुसार जमा करने हेतु उत्तरदायी होगी एवं इसका संपूर्ण अधिकार एवं रिकार्ड एजेंसी द्वारा

स्वयं रखा जावेगा तथा सत्यापन हेतु यह रिकार्ड विश्वविद्यालय प्रबंधन के समक्ष प्रत्येक माह देयकों के साथ प्रस्तुत किया जावेगा।

33. सुरक्षा एजेंसी परिसर में आवारा कुत्तों एवं पशुओं को रोकने के लिए उत्तरदायी होगी। यदि ऐसा करने में विफल हुई तो प्रबंधन स्वविवेक से सुरक्षा एजेंसी पर जुर्माना कर सकेगा। विश्वविद्यालय परिसर के बाग–बगीचे इत्यादि की सुरक्षा का कार्य भी सुरक्षा एजेंसी करेगी।
34. विश्वविद्यालय परिसर में चोरी, उपद्रव, मारपीट, झगड़ा आदि कार्य किये जाने की दशा में तत्काल स्थिति को अपने नियंत्रण में लेने तथा विश्वविद्यालय प्रबंधन से संपर्क कर विश्वविद्यालय प्रबंधन के निर्देशानुसार पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज कराना सुरक्षा एजेंसी का दायित्व होगा।
35. **सुरक्षा एजेंसी के प्रत्येक सुरक्षा कर्मी को विश्वविद्यालय परिसर एवं भवनों में स्थापित अग्निशमन यंत्रों का प्रयोग करने में पूर्ण दक्ष होना चाहिए। सुरक्षा एजेंसी द्वारा इन उपकरणों का समुचित रख–रखाव सुनिश्चित किया जाएगा एवं उनका समय–समय पर निरीक्षण/परीक्षण भी करना होगा ताकि आगजनी घटित होने पर त्वरित गति से काबू पाया जा सके। ऐसा न कर सकने की स्थिति में आग इत्यादि या किसी भी दुर्घटना से कारित होने वाली हानि का पूर्ण दायित्व सुरक्षा एजेंसी का होगा एवं उसकी क्षतिपूर्ति सुरक्षा एजेंसी द्वारा की जाएगी।**
36. सुरक्षा एजेंसी के पास पर्याप्त संख्या में भारतीय सेना से सेवानिवृत्त सैनिक तथा प्रशिक्षित, अनुभवी एवं लायसेंसी आर्म्ड गार्ड होना आवश्यक है जिसका प्रमाण पत्र सुरक्षा एजेसी को निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
37. यदि विश्वविद्यालय प्रबंधन एवं साफ–सफाई एजेंसी के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय द्वारा दिया गया निर्णय साफ–सफाई एजेंसी एवं विश्वविद्यालय प्रबंधन को मान्य एवं बंधनकारी होगा।

कुलसचिव
हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)

हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नया रायपुर
सुरक्षा कार्य हेतु निविदा

तकनीकी निविदा

शैक्षणिक सत्र 2017–18

प्रति,

कुलसचिव
हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)

महोदय,

हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के नया रायपुर स्थित परिसर में सुरक्षा व्यवस्था करने हेतु बुलाई गई निविदा सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है। इस निविदा के संदर्भ में मेरा आवेदन प्रस्तुत है तथा मैं वचन देता हूँ कि यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं विश्वविद्यालय द्वारा इस निविदा प्रपत्र में तथा संदर्भित निविदा विज्ञापन में उल्लेखित निर्धारित सुरक्षा ठेके की समस्त शर्तो का पालन करते हुए सुरक्षा ठेके का कार्य करने हेतु सहमत हूँ। अतः मैं एतद् द्वारा अमानत राशि रु.3,00,000/– (रु. तीन लाख मात्र) का बैंक ड्राफ्ट क्रमांक ..... दिनांक ..... जो .... बैंक का है तथा, कुलसचिव/रजिस्ट्रार, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) को देय है, संलग्न कर रहा हूँ। साथ ही, दर–अनुसूची (प्रपत्र–तीन) भी अन्य दस्तावेजों सहित संलग्न कर रहा हूँ।

मुझे वर्तमान में संबंधित क्षेत्र एवं कार्य का निम्नानुसार अनुभव है :–

01. नाम व पता तथा टेलीफोन नंबर : .....
.....
.....

02. यदि कोई पार्टनर हो, तो उसका नाम : .....
एवं पता यदि पंजीकृत भागीदारी फर्म .....
है तो पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रति .....
संलग्न की जाये। यदि पंजीकृत .....
भागीदारी फर्म नहीं है तो भागिता–पत्र .....
की नोटरी से सत्यापित सत्य प्रतिलिपि .....
संलग्न की जाये।

03. पूर्व कार्यो के अनुभव का विवरण : .....
संबंधित संस्थान के नाम–पते एवं .....

परफॉरमेन्स रिपोर्ट सहित देवें .....

(अलग शीट पर विवरण संलग्न करें)

04. वर्तमान में कितने सुरक्षा कर्मचारी आपकी : .....

ठेकेदारी में कार्यरत हैं। .....

05. वर्तमान में जहाँ कार्य चल रहा हो, : .....

उस संस्थान का नाम व पता (समर्थन में .....

पत्र/आदेश की प्रति संलग्न की जावे) .....

06. सुरक्षा ठेके संबंधी जीवित लेबर : .....

लायसेंस का विवरण (लायसेंस के प्रमाण .....

–पत्र की छायाप्रति संलग्न की जावे) .....

07. भविष्य निधि कोड नं. एवं वर्क्समेन : .....

कम्पनसेशन पॉलिसी की प्रति (प्रमाण– .....

पत्र की छायाप्रति संलग्न की जावे) .....

08. सर्विस टेक्स रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट : .....

(प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न की जावे)। .....

09. साल्वेन्सी सर्टीफिकेट (न्यूनतम दस लाख रु.): .....

प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न की जावे)। .....

10. पेन नम्बर प्रमाण–पत्र : .....

योग्यता जाँच सूची

क्रं.	विवरण	हाँ	नहीं	पृ.क्र.
1.	संस्था का पैन नंबर			
2.	जीवित लेबर लायसेंस प्रमाण–पत्र एवं वैधता तिथि			
3.	सालवेन्सी प्रमाण–पत्र (न्यूनतम रु. 10 लाख)			
4.	सर्विस टेक्स रजिस्ट्रेशन एवं वैधता तिथि			
5.	भविष्य निधि प्रमाण–पत्र कोड सहित			
6.	उचित श्रेणी में पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं वैधता तिथि			
7.	अनुभव प्रमाण–पत्र / परफार्मेंस सर्टिफिकेट			
8.	वर्तमान में कार्यरत संस्थान का नाम (कार्यादेश की प्रति संलग्न करें)			
9.	एजेन्सी का वार्षिक टर्न ओव्हर पिछले तीन वर्षो में न्यूनतम 50 लाख रुपये रहने का सी.ए. से प्रमाणित			

	अंकेक्षित वित्तीय पत्रक			
10.	आयकर निर्धारण पत्रक (विगत तीन वर्षों का)			
11.	वर्कमेन कम्पनसेशन पॉलिसी (जीवित) की छायाप्रति			
12.	अमानत हेतु निर्धारित राशि का डिमांड ड्राफ्ट, जो कुलसचिव/रजिस्ट्रार, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, रायपुर के नाम से देय हो, संलग्न किया जाये।			

दिनांक ..... हस्ताक्षर .....

स्थान ..... पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में) .....

टीपः–

1. अभिलेखों की छायाप्रतियों को निविदाकार के द्वारा अपने पूर्ण हस्ताक्षर करते हुए स्वयं के द्वारा सत्यापित किया जाना अनिवार्य है। स्वयं सत्यापन के हस्ताक्षर के नीचे निविदाकार को अपना पूर्ण नाम एवं तिथि अंकित करना अनिवार्य होगा।

हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नया रायपुर
सुरक्षा कार्य हेतु निविदा

वित्तीय निविदा

शैक्षणिक सत्र 2017–18

निविदाकार को इस वित्तीय निविदा में उल्लेखित सभी आयटमों हेतु दर उल्लेखित करना अनिवार्य है (अंकों एवं शब्दों में उल्लेखित करना)। इसका अनुपालन नहीं करने पर निविदा को अधूरा मानते हुए अस्वीकार कर दिया जाएगा। अंकों एवं शब्दों में दी गई दरों में अंतर पाए जाने पर शब्दों में दी गई दर के आधार पर निविदा का परीक्षण किया जाएगा।

मेरे/हमारे द्वारा सुरक्षा निविदा हेतु निम्नानुसार दरें प्रस्तावित हैं:–

क्रं.	सुरक्षा कर्मियों का पदनाम	दर प्रति व्यक्ति प्रतिमाह (अंको में) (प्रति शिफ्ट 8 घंटे की)	दर प्रतिमाह (शब्दों में)
01.	सुरक्षा गार्डस (प्रशिक्षित)	i- बेसिक वेतन रू..... (न्यून.मज.अधि. के अनुसार)	.....
		ii- ईपीएफ रू.....	.....
		iii- ईएसआई रू.....	.....
		iv- अन्य रू.....	.....
		v- सुरक्षा एजेंसी सेवा शुल्क रू.....	.....
		vi- कुल योग रू.....	.....
02.	सुरक्षा गार्ड्स (भूतपूर्व आर्मी–मेन)	i- बेसिक वेतन रू..... (न्यून.मज.अधि. के अनुसार)	.....
		ii- ईपीएफ रू.....	.....
		iii- ईएसआई रू.....	.....
		iv- अन्य रू.....	.....
		v- सुरक्षा एजेंसी सेवा शुल्क रू.....	.....
		vi- कुल योग रू.....	.....

क्रं.	सुरक्षा कर्मियों का पदनाम	दर प्रति व्यक्ति प्रतिमाह (अंको में) (प्रति शिफ्ट 8 घंटे की)	दर प्रतिमाह (शब्दों में)
03.	सुपरवाईजर (प्रशिक्षित)	i- बेसिक वेतन रू..... (न्यून.मज.अधि. के अनुसार)	.....
		ii- ईपीएफ रू.....	.....
		iii- ईएसआई रू.....	.....
		iv- अन्य रू.....	.....
		v- सुरक्षा एजेंसी सेवा शुल्क रू.....	.....
		vi- कुल योग रू.....	.....
04.	आर्म्ड सुरक्षा गार्डस (भारतीय सेना से सेवानिवृत्त या समकक्ष तथा शस्त्र लायसेंसधारी)	i- बेसिक वेतन रू..... (न्यून.मज.अधि. के अनुसार)	.....
		ii- ईपीएफ रू.....	.....
		iii- ईएसआई रू.....	.....
		iv- अन्य रू.....	.....
		v- सुरक्षा एजेंसी सेवा शुल्क रू.....	.....
		vi- कुल योग रू.....	.....
05.	सुरक्षा अधिकारी (भारतीय सेना से सेवानिवृत्त या समकक्ष)	i- बेसिक वेतन रू..... (न्यून.मज.अधि. के अनुसार)	.....
		ii- ईपीएफ रू.....	.....
		iii- ईएसआई रू.....	.....
		iv- अन्य रू.....	.....
		v- सुरक्षा एजेंसी सेवा शुल्क रू.....	.....
		vi- कुल योग रू.....	.....

मैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूं कि मैंने निविदा की सभी शर्तों तथा सुरक्षा ठेके की सभी विशेष शर्तों को पढ़कर/पढ़ाकर अच्छी तरह समझ लिया है तथा मैं उनका पालन करने हेतु तैयार हूं। मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तावित दरें निविदा के नियम व शर्तों के अनुसार भरी गयी हैं, जो समय–समय पर केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा बनाये गये लेबर लॉज एवं रूल्स के अनुसार प्रदत्त सभी सुविधाओं एवं दायित्वों के पालन सहित हैं।

निविदाकर्त्ता का हस्ताक्षरः .....

फर्म का नामः .....

पताः .....

.....

.....

फोन नं.: .....

फर्म की सील/स्टाम्पः .....